

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.7(33)/12/L&B/LA/MRTS/ 15136

Dated. 23/12/2013

NOTIFICATION

Whereas, the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Construction of Janakpuri West –Botanical Garden Corridor (Line -08) of Delhi MRTS Project Phase-III. It is, hereby, notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land notified w/s 4 of L.A.Act, 1894 vide Notification No.F.7(33)/12/L&B/LA/MRTS/14870 dated 19/12/2013 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (South), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (South), M.B.Road, Saket, New Delhi.

SPECIFICATION

VILLAGE	TOTAL AREA	FIELD NOS. OF THE BOUNDARIES
Laxman Public School Hauz Khas	120 Sq.Mtrs.	Part Property of South of Laxman Public School (Hauz Khas)

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.


(USHA CHATURVEDI)
DY.SECRETARY (LA)



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

सं.एफ.7(33)/12/भू.व.म./भू.अ./एमआरटीएस/15/36

दिनांक: 23/12/2013

अधिसूचना

जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट फेस-111 के जनकपुरी वैस्ट बोटैनिकल गॉर्डन कॉरीडोर (लाइन-08) के निर्माण हेतु प्राप्त किया जाना है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 7(33)/12/भू.व.म./भू.अ./एमआरटीएस/14870 दिनांक 19.12.2013 द्वारा की जा चुकी है। और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण) दिल्ली, को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (दक्षिण), एम.बी.रोड, साकेत, नई दिल्ली के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गाँव	कुल क्षेत्र	चारदीवारी के क्षेत्र की संख्या
लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, हौज खास	120 वर्ग मीटर	लक्ष्मण पब्लिक स्कूल के दक्षिण दिशा का कुछ अंश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

रुषा चतुर्वेदी
उप-सचिव (भू.अ.)